

03.06.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल दिये जाने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

अतः यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अनुपस्थित रहकर बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(विकास कुमार-1)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP1910

24.11.2025

बार-बार पुकार कराये जाने पर अंतरिम अग्रिम प्रार्थनापत्र पर बल दिये जाने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। अतः अंतरिम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अनुपस्थित रहकर बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।